

27.5.24

पत्रावली पेश हुई
उत्तरपत्र अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली करते विचारों संख्या 9 से 14 तक जब
हेतु उत्तर दिनांक जाकर दिनांक 30.5.24
को पेश हो।

24
उपरखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

30.5.24.

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व
कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 10.6.24 को पेश हो।

10.6.24

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व
कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 12.6.24 को पेश हो।

12.6.24

पत्रावली पेश हुई उत्तरपत्र अधिवक्ता उपस्थित।
विचारों अधिवक्ता हाथ जब पेश नहीं करते हुए
सीधे बहस हेतु विवेक करने पर उत्तरपत्र अधिवक्ता
की बहस सुनी गई।
उत्तरपत्र अधिवक्ता को सुना रहे पत्रावली का
प्रलोकन किया गया। चूंकि विवादित आराली के
समस्त रेकॉर्ड खातेदार को प्रार्थीगत पत्रकार
संप्रेषित नहीं किया गया है तथा बच रेकॉर्ड
सहायतेदार की ओर से जमि अधिवक्ता इम्त लेखकों
प्रोदेश नहीं किये जाने का निवेदन किया गया है।
अतः इम्त स्थिति में विवादित आराली के समस्त
रेकॉर्ड खातेदार को पत्रकार नहीं बताने तथा सहायत
नहीं होने पर इम्त आवेदन इसी स्तर पर चलने
भोग्य नहीं होने के खारिज किया जाता है।
पत्रावली सम्पन्न उपर हो।

24
उपरखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)